



IS15700:2005 Cft No.SQ/L-6000140

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

आयुक्त सीमाशुल्क का कार्यालय, चेन्नई - II OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS, CHENNAI-II
सीमाशुल्क गृह, 60, राजाजी सालै, चेन्नई - 600001 CUSTOMS HOUSE, 60, RAJAJI SALAI, CHENNAI - 600001
दूरभाष: 044 25230371, 044 25267778 Phone: 044 25230371, Fax: 044 25267778

सार्वजनिक सूचना सं. /2017
PUBLIC NOTICE NO. 64 /2017

Sub : Amendment to the Customs (Advance Rulings) Rules, 2002- Reg.

आयातक, निकासी अभिकर्ता तथा व्यापारियों के मार्ग दर्शन के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली की पत्र फा.सं 275/38/ 2016-CX.8A, द्वारा दि 31-03-2017 को जारी अधिसूचना सं. 29/2017-सी.शु.(एन.टी.) को एतद्वारा संलग्न किया जाता है। यह वेबसाइट www.cbec.gov.in में भी उपलब्ध है।

Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi, Notification No. 29/2017-Customs (N.T) dated 31.03.2017 issue from the File No.275/38/2016-CX.8A, is enclosed herewith for the guidance of the Importers, Clearing Agents and the Trading Public. The same is also available in the website www.cbec.gov.in.


(Vaidehi Nelson)

Asst. COMMISSIONER OF CUSTOMS (APPG. MAIN)

फा.सं.एस विविध.02/2017-मू.प्र.

F.NO.S.Misc.02/2017-Appg. Main

मूल्यांकन प्रमुख/Appraising Main,

सीमा शुल्क भवन, चेन्नै-1./Custom House, Chennai-1.

दिनांक/Dated: 05-04-2017

प्रति/To All concerned

प्रतिलिपि/Copy to: System Unit- for Publishing in Website / Intranet.

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE

Notification

No. 29 /2017 - Cus. (N.T.)

New Delhi, the 31/3, 2017

G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by section 156 read with sub-sections (1) and (3) of section 28 H of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs (Advance Rulings) Rules, 2002, namely :-


1. (1) These rules may be called the Customs (Advance Rulings) Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 2017.

2. In the Customs (Advance Rulings) Rules, 2002, in rule 2, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

'(b) "Authority" means the Authority for Advance Rulings constituted under section 245-O of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);'

(F.No.275/38/2016-CX.8A



(Y. S. Karoo)

Under Secretary to the Govt. of India

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section (i) vide number G.S.R. 593(E), dated the 23rd August, 2002 *vide* Notification No. 55/2002-Cus(N.T.) dated the 23rd August, 2002 and last amended *vide* notification No.54/2003-Cus (N.T.), dated the 23rd July, 2003 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 578 (E), dated the 23rd July, 2003.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

अधिसूचना

सं. 29/2017 - सीमाशुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 31/3/2017

सा.का.नि. (अ). - सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 28 ज की उपधारा (1) और (3) के साथ पठित धारा 156 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सीमाशुल्क (अग्रिम विनिर्णय) नियमावली, 2002 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम और बनाती है, अर्थात्-

1. (1) ये नियम, सीमाशुल्क (अग्रिम विनिर्णय) संशोधन नियमावली, 2017 कहे जा सकेंगे।

(2) ये अप्रैल, 2017 की पहली तारीख से प्रभावी होंगे।

(2) सीमाशुल्क (अग्रिम विनिर्णय) नियमावली 2002 में, नियम 2 में, खंड (ख) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्-

'(ख) "प्राधिकरण" का अर्थ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 245-ण के तहत अग्रिम विनिर्णय के लिए गठित प्राधिकरण से है;'

(फा.सं.275/38/2016-सीएक्स.8ए

(या. स. कार)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी : प्रधान नियमावली भारत के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना संख्या 55/2002-सीशु (गै.टै.) दिनांक 23 अगस्त, 2002 के तहत प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 54/2003-सीशु (गै.टै.) दिनांक 23 जुलाई, 2003 के तहत किया गया था जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 23 जुलाई, 2003 के सा.का.नि. 578(ड.) के तहत प्रकाशित हुई थी।